प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता)

1 जिला SIW भ्र.नि.ब्यूरो. जयपुर थाना प्रधान आरक्षी केंद्र, भ्र0नि0ब्यूरो जयपुर वर्ष 2022
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या.....373/2022.....दिनांक.....22/9/2022.....

2. (I) अधिनियम ... धारायें:– 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 व 201 भादस
(II) अधिनियम .....धारायें .....
(III) अधिनियम ..... धारायें .....
(IV) अन्य अधिनियम एवं धारायें .....

3. (अ) रोजनामचा आम रपट संख्या .....417..... समय ...3:10 pm
(ब) अपराध घटने का वार.....मंगलवार.....दिनांक 20.09.2022 समय 01.05 पी.एम.
(स) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक 12.09.2022

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक– लिखित

5. घटनास्थल :– जयपुर
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी:– बजानिब उत्तर दिशा में करीब 10 कि0मी0
(ब) पता..... गेट नं0 03 जिला कलेक्ट्रेट जयपुर।
.....बीट संख्या.....जयरामदेही सं.....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो
पुलिस थाना .....जिला .....

6. परिवादी / सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम:– श्री हिर्देश कुमार शर्मा .....
(ब) पिता/पति का नाम:– श्री मनोज कुमार शर्मा
(स) जन्म तिथी/वर्ष वर्ष.....उम्र 28 साल.....
(द) राष्ट्रीयता:– भारतीय
(य) पासपोर्ट संख्या:– जारी होने की तिथि ....जारी होने की जगह .....
(र) व्यवसाय:–पेन्टिंग
(ल) पता:– 2444, खजाने वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित : –
श्री विनय कुमार पुत्र श्री केशव चंद, जाति जाटव, उम्र 31 साल, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी महुआ, जिला दौसा, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम, पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर।

8. परिवादी /सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
रिश्वती राशि 5,000/– रूपये

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मुल्य .... रिश्वती राशि 5,000/–रूपये

11. पंचनामा/ यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) .....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें) :–

दिनांक 12.09.2022 को अति0 पुलिस अधीक्षक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन विंग भ्र नि ब्यूरो जयपुर ने मन् उप अधीक्षक पुलिस को अपने कार्यालय कक्ष में बुलाकर उनके पास बैठे हुये व्यक्ति श्री हिर्देश कुमार शर्मा पुत्र श्री मनोज कुमार शर्मा, निवासी 2444, खजाने वालों का रास्ता, चांदपोल बाजार जयपुर व उसके पिता श्री मनोज कुमार शर्मा से परिवादी के रूप में परिचय करवाते हुए, परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को मेरे नाम पृष्ठांकित करते हुए अग्रिम कार्यवाही करने के निर्देश दिये, जिसपर मन उप अधीक्षक पुलिस परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा व उसके पिता श्री मनोज कुमार शर्मा को साथ लेकर अपने कार्यालय कक्ष में आया तथा प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तो उक्त प्रार्थना पत्र श्रीमान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एसआईडब्लू, एसीबी जयपुर को सम्बोधित किया गया है। मजीद दरियाफ्त पर परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा ने बताया कि उक्त प्रार्थना पत्र मेरे स्वयं द्वारा हस्तलिखित है व इस पर मेरे हस्ताक्षर किये हुए हैं तथा इसमें अंकित तथ्य सही हैं। परिवादी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की ताईद करते हुए बताया कि" मैं हिर्देश कुमार शर्मा खजाने वालों का रास्ता चांदपोल बाजार का रहने वाला हूं। अक्टूबर 2021 में मैने जमीन की रजिस्ट्री के बाबत 10,810 रूपये के ई–चालान/रजिस्ट्रेशन एवं 81,978 रूपये के ई–स्टाम्प खरीदे थे लेकिन किसी कारणवश उक्त जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवा पाया व सौदा निरस्त हो गया था। उक्त ई–चालान व ई–स्टाम्प के कुल 92,788 रूपये को रिफन्ड करवाने के लिए मैने दिनांक 13.01.2022 को डीआईजी पंजियन–प्रथम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था। दिनांक 18.07.2022 को मेरे पास ईमेल आया था जिसमें मेरा प्रार्थना पत्र स्वीकार कर डीआईजी–I जयपुर के पास फारवर्ड करना लिखा हुआ था, जिसके बाद मैने डीआईजी पंजियन–I कार्यालय में सम्पर्क किया तो सम्बंधित बाबू ने मुझसे उक्त राशि का 10 प्रतिशत कार्यालय में कटौती होने एवं रिफन्ड हेतु 15 प्रतिशत, 14,000 रूपये रिश्वत राशि की मांग की है। उक्त रिश्वत वह बाबू डीआईजी–प्रथम के द्वारा मांग करना बता रहा है। मैं उक्त बाबू व डीआईजी–प्रथम को रिश्वत राशि नहीं देकर पकडवाना चाहता हूं। उक्त बाबू व डीआईजी–I पंजियन से मेरी कोई व्यक्तिगत रंजिश नहीं है एवं किसी प्रकार का कोई पैसों का लेनदेन नहीं है। रिपोर्ट करता हूं कार्यवाही की जाये।" परिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अवलोकन एवं मजीद दरियाफ्त से मामला प्रथम दृष्टया रिश्वत राशि मांग का पाया जाने पर मांग के गोपनीय सत्यापन हेतु दिनांक 12.09.2022 को दोपहर करीब 1.15 बजे

कार्यालय के श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 का परिवादी व उसके पिता से आपस में परिचय करवाकर उन्हें कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर उपलब्ध करवाया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। तत्पश्चात दोपहर 3.15 बजे परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा व उसके पिता श्री मनोज कुमार शर्मा एवं श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 वापस कार्यालय में उपस्थित आये। श्री लक्ष्मीनारायण कानि. 258 ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश कर अवगत करवाया कि मैं और परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा व इनके पिता कार्यालय से रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास पहुंचे, जहां परिवादी व उसके पिता श्री मनोज कुमार शर्मा के वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाकर दिया था जिसे मैने बन्द किया था। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी से पूछने पर परिवादी ने श्री लक्ष्मीनारायण कानि. के कथनों की ताईद करते हुए अवगत कराया कि कार्यालय से रवाना होकर हम लोग जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर श्री लक्ष्मीनारायण कानि. ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करके सपुर्द किया था। उसके बाद मै व मेरे पिताजी संदिग्ध के पास कार्यालय में गये तो संदिग्ध आरोपी श्री विनय कुमार बाबू हमें वहां पर मौजूद मिला वहां पर हमारी उससे मेरे कार्य के बारे में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने हमसे 5,000 रूपये की मांग की है एवं कहा है कि मैं फाईनल और श्री सरदार खान सर से बात करके बताउंगा इसपर हमने उससे कहा कि सर 5 हजार तक ही फाईनल कर लेना हम इससे ज्यादा नहीं दे सकते। हमारे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की है। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना सत्यापित हुआ। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी कार्यालय आलमारी में रखा गया। संदिग्ध आरोपी श्री विनय कुमार द्वारा श्री सरदार खान से बात करके रिश्वत राशि के सम्बंध में बताने के लिए कहा था इसलिए पुनः सत्यापन की आवश्यकता के मध्यनजर आईन्दा पुनः मांग सत्यापन करवाये जाने की हिदायत कर परिवादी व उसके पिता को रूखसत किया गया।

उसके बाद दिनांक 16.09.2022 को परिवादी व उसके पिता कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये तथा परिवादी ने अवगत करवाया कि आरोपी ने संदिग्ध श्री सरदार खान से वार्ता कर फाईनल बताने के लिए कहा था, मेरी आरोपी से बात हुई थी दिनांक 13.09.2022 को वह मीटिंग में था दिनांक 14.09.2022 को अवकाश पर था एवं 15.09.2022 को हमें कुछ काम था इसलिए नहीं आ पाये इसलिए आज उसके पास वार्ता हेतु जाना पडेगा। इसपर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु कार्यालय के श्री रामफूल कानि. 421 का परिवादी व उसके पिता से आपस में परिचय करवाकर उन्हें कार्यालय का डिजीटल वाईस रिकॉर्डर उपलब्ध करवाया गया तथा आवश्यक हिदायत दी जाकर गोपनीय मांग सत्यापन हेतु रवाना किया गया। उसके बाद दोपहर करीब 1.00 बजे श्री रामफूल कानि. कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष वापस उपस्थित आया तथा उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश कर अवगत करवाया कि मैं और परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा व उसके पिता कार्यालय से रवाना होकर जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास पहुंचे, जहां परिवादी व उसके पिता के वार्ता हेतु संदिग्ध के पास जाने से पूर्व मैंने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दिया था। परिवादी डिजीटल वाईस रिकॉर्डर लेकर संदिग्ध के पास वार्ता हेतु गया था तथा परिवादी ने संदिग्ध के साथ हुई वार्ता को डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड किया तथा बाद वार्ता रिकॉर्डर मुझे लाके दिया था जिसे मैने बन्द किया था। उसके बाद वहां परिवादी व उसके पिता ने कहा कि हमें घर पर आवश्यक कार्य है इसलिए हमें घर जाना है इसपर उनको रूखसत कर वहां से रवाना होकर कार्यालय उपस्थित आया हूं। तत्पश्चात डिजिटल वाईस रिकार्डर को कार्यालय के कम्प्यूटर से जोडकर सुना गया तो संदिग्ध आरोपी द्वारा परिवादी से रिश्वत की मांग करना सत्यापित हुआ। डिजिटल वाईस रिकार्डर को सुरक्षित मेरी आलमारी में रखा गया।

तत्पश्चात दिनांक 19.09.2022 को परिवादी व उसके पिता कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित आये। परिवादी से मांग सत्यापन दिनांक 16.09.2022 के तथ्यों के सम्बंध में पूछने पर परिवादी ने अवगत कराया कि उस दिन मैं व मेरे पिताजी एवं श्री रामफूल कानि. कार्यालय से रवाना होकर हम लोग जिला कलेक्ट्रेट जयपुर में रजिस्ट्रार कार्यालय के पास पहुंचे, जहां पर श्री रामफूल कानि. ने मुझे डिजिटल वॉयस रिकार्डर चालू करके सपुर्द किया था। उसके बाद मै व मेरे पिताजी संदिग्ध के पास कार्यालय में गये तो संदिग्ध आरोपी श्री विनय कुमार बाबू हमें वहां पर मौजूद मिला वहां पर हमारी उससे मेरे ई चालान व ई स्टाम्प की रिफण्ड राशि दिलवाने के सम्बंध में वार्ता हुई तो संदिग्ध आरोपी ने हमसे 5,000 रूपये रिश्वत के रूप में मांग की है। हमारे और संदिग्ध के मध्य हुई रिश्वत मांग सम्बंधी वार्ता मैने डिजीटल वॉयस रिकॉर्डर में रिकार्ड की थी। उक्त वार्ता को तीन दिन हो गये हैं अब मुझे रिश्वत राशि देने हेतु संदिग्ध के पास जाना पडेगा नही तो उसको हम पर शक हो जायेगा। जिसपर गोपनीय कार्यवाही हेतु दो स्वतंत्र गवाह तलब किये गये। स्वतंत्र गवाहान श्री अनिल शुक्ला CA-I, कार्यालय कार्मिक अधिकारी (जयपुर जिला वृत्त) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर व श्री योगेश कटेजा CA-I, कार्यालय कार्मिक अधिकारी (जिला जयपुर नगर वृत्त) जयपुर डिस्कॉम, जयपुर के उपस्थित आने पर परिवादी तथा स्वतंत्र गवाहान का आपस में परिचय करवाया जाकर उनके समक्ष डिजीटल वॉईस रिकॉर्डरों में रिकॉर्ड दिनांक 12.09.2022 व 16.09.2022 की रिश्वत मांग सत्यापन वार्ताओं को कम्प्यूटर की सहायता से सुनाया जाकर हस्बकायदा वार्ता की फर्द ट्रांसकिप्ट रिश्वत मांग सत्यापन मुर्तिब की गई। तथा कम्प्यूटर की सहायता से पांच सीडियां तैयार की जाकर, चार सीडियों को शील्ड मोहर किया गया तथा एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुली रखा गया व डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सील्ड मोहर किया गया। फर्द ट्रांसकिप्ट व

सीडियों पर सम्बधिंतो के हस्ताक्षर करवाये गये। आरोपी को रिश्वत राशि कार्यालय में दी जानी थी एवं दिनांक 19.09.2022 को कार्यालय समय समाप्त हो चुका था इसलिए उस दिन कार्यवाही की सम्भावना नहीं होने के मध्यनजर परिवादी व उसके पिता एवं स्वतंत्र गवाहान को गोपनीयता बनाये रखने एवं दिनांक 20.09.2022 को प्रातः 10.00 बजे कार्यालय में मन उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष उपस्थित होने की हिदायत कर रूखसत किया गया।

दिनांक 20.09.2022 को प्रातः परिवादी, दोनों स्वतंत्र गवाहान व कार्यालय स्टाफ के उपस्थित आने पर अग्रिम कार्यवाही प्रारम्भ की गई। प्रातः 11.00 बजे दोनों स्वतंत्र गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा को संदिग्ध आरोपी श्री विनय कुमार बाबू को रिश्वत में दी जाने वाली राशि पेश करने के लिए कहा, जिस पर परिवादी ने अपने पास से 500–500 रूपये के दस भारतीय मुद्रा के नोट कुल राशि 5,000 रूपये निकालकर गवाहान के समक्ष मन उप अधीक्षक पुलिस को पेश किये। उक्त नोटों के नम्बर फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट में अंकित करवाये गये। उपरोक्त सभी 500–500 रूपये के भारतीय मुद्रा के नोटों कुल राशि 5,000/–रूपये पर फिनोफ्थीलन पाउडर लगवाने हेतु श्री कल्याण सहाय कानि नं. 383 से कार्यालय हाजा की आलमारी से फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी निकलवाकर एक अखबार पर फिनोफ्थलीन पाउडर डलवाकर उक्त सभी नोटों पर लगवाया गया तथा परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा की जामा तलाशी गवाह श्री योगेश कटेजा से लिवाई जाकर उसके पास उसके मोबाईल के सिवाय अन्य कोई वस्तु नहीं रहने दी गई तत्पश्चात् फिनोफ्थलीन पाउडर लगे उक्त 5,000/–रू0 के नोट सीधे ही श्री कल्याण सहाय कानि. से परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा की पहनी हुई पेन्ट की दाहिनी साईड की जेब में रखवाये गये तथा परिवादी को हिदायत दी गई कि वह इन नोटों को अनावश्यक रूप से नहीं छुवे व संदिग्ध आरोपी द्वारा मांगने पर ही उक्त नोट जेब से निकालकर उसे रिश्वत के रूप में देवे। आरोपी द्वारा रिश्वत ग्रहण करने के पश्चात् अपने सिर पर हाथ फेरकर या अपने मोबाईल फोन से मुझ उप अधीक्षक पुलिस के मोबाईल पर मिस कॉल कर मुझे व ट्रेप पार्टी को ईशारा करें। गवाहान को हिदायत दी गई कि वे यथा सम्भव परिवादी के आस–पास रहकर रिश्वत के लेन–देन को देखने व दोनों के मध्य होने वाली वार्ता को सुनने का प्रयास करें। इसके बाद एक साफ कांच के गिलास में साफ पानी मंगवाकर उसमें एक चम्मच सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया तो घोल का रंग नहीं बदला, उक्त घोल में श्री कल्याण सहाय कानि जिसने नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगाया था, के फिनोफ्थलीन पाउडर युक्त दाहिने हाथ की अंगुलियों को घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया, जिसे गवाहान व परिवादी को दिखाकर समझाईश की गई कि अगर आरोपी इन नोटों को अपने हाथों से छुयेगा तो उसके हाथ इसी विधि से धुलवाने पर धोवन का रंग गुलाबी हो जायेगा। फिनोफ्थलीन पाउडर की शीशी वापस श्री कल्याण सहाय कानि से कार्यालय की आलमारी में रखवायी जाकर अखबार जिस पर नोटों को रख कर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाया गया था, उक्त अखबार को जलवाकर नष्ट करवाया गया तथा गुलाबी घोल को बाहर फिकवाकर श्री कल्याण सहाय कानि के हाथों व गिलास को साबुन पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाया गया। गवाहान व जाप्ता की एक दूसरे से आपसी जामा तलाशी लिवाई जाकर किसी के पास कोई आपत्तीजनक वस्तु नहीं रहने दी गई। ट्रेप कार्यवाही में काम आने वाली शीशीयां, गिलास, चम्मच आदि को साबुन व साफ पानी से धुलवाकर साफ करवाये गये एवं ट्रेप पार्टी के समस्त सदस्यों के हाथ साबुन व पानी से अच्छी तरह धुलवाकर साफ करवाये गये। श्री कल्याण सहाय कानि. 383 को कार्यालय में ही रहने की हिदायत कर यहीं छोडा गया। रिश्वत लेन–देन के समय संदिग्ध आरोपी से होने वाली बातचीत को रिकार्ड करने हेतु कार्यालय का डिजिटल वॉयस रिकार्डर खाली होना सुनिश्चित कर परिवादी को उसे चालू व बन्द करने (ऑपरेट करने) की विधि समझाई गई व रिश्वत लेनदेन के वक्त आरोपी से आपस में होने वाली वार्ता को डिजिटल वाईस रिकॉर्डर में रिकॉर्ड करके पेश करने के निर्देश दिये गये तथा उक्त डिजीटल वाईस रिकॉर्डर श्री रामफूल कानि. 421 को सुपूर्द कर हिदायत की गई कि परिवादी जब संदिग्ध आरोपी के पास जाये उससे पूर्व डिजिटल वाईस रिकार्डर को चालू करके परिवादी को सुपुर्द करें। उक्त की फर्द पेशकशी एवं सुपूर्दगी नोट व दृष्टांत फिनोफ्थलीन पाउडर एंव सोडियम कार्बोनेट पृथक से तैयार की जाकर सम्बंधितो के हस्ताक्षर करवाकर शामिल पत्रावली किया गया।

तत्पश्चात दोपहर 12.00 बजे मन उप अधीक्षक पुलिस मय दोनों स्वतंत्र गवाहान, परिवादी व उसके पिता, ट्रैप पार्टी सदस्य मय ट्रैप बाक्स, लैपटाप व प्रिन्टर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री सहित वास्ते गोपनीय कार्यवाही सरकारी/निजी वाहनों से रवाना होकर दोपहर करीब 12.45 बजे जिला कलेक्ट्रेट जयपुर परिसर स्थित संदिग्ध आरोपी के कार्य स्थल कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर के पास पहुंचे, जहां मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा वाहनों को साईड में खडे करवाकर स्वतंत्र गवाहान व जाप्ता को गाडी से नीचे उतरवाकर, उक्त कार्यालय के आस–पास अपनी उपस्थिति छिपाते हुये खडे रहने की हिदायत देते हुये परिवादी व उसके पिता को संदिग्ध आरोपी के पास जाने हेतु रवाना कर ट्रैप हेतु जाल बिछाया। उसी वक्त श्री रामफूल कानि. 421 ने अवगत करवाया कि मैने डिजीटल वाईस रिकॉर्डर चालू कर परिवादी को दे दिया है। उसके बाद दोपहर 01.05 बजे परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा ने जिला कलेक्ट्रेट जयपुर के मुख्य गेट नं0 03 से कलेक्ट्रेट परिसर के पीछे की तरफ स्थित कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम, पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर की तरफ आते हुए पूर्व निर्धारित ईशारा अपने सिर पर हाथ फेरकर करने पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय गवाहान तथा जाप्ते को साथ लेकर परिवादी व उसके पिता के पास पहुंचे तो परिवादी ने उसको पूर्व में सुपूर्द किया गया डिजीटल वाईस रिकॉर्डर पेश किया जिसको मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा बन्द कर सुरक्षित कब्जा लिया गया, परिवादी ने उसके आगे–आगे कुछ दूरी पर जा रहे व्यक्ति की तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये ही विनय कुमार बाबू हैं जिन्होंने अभी अभी मुझ से मेरे ई–चालान व ई–स्टाम्प की राशि रिफन्ड करवाने की एवज में इनकी पूर्व मांगनुसार 5,000 रूपये रिश्वत के रूप में लिए हैं, इन्होंने मुझसे पैसे लेकर अपनी पहनी हुई जींस पेन्ट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब में रखे हैं। इस पर मन उप अधीक्षक

पुलिस मय गवाहान व हमराही जाप्ते ने परिवादी व उसके पिता को साथ लेकर उक्त व्यक्ति का पीछा कर कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम, पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर के भूतल पर स्थित कार्यालय उप पंजियक द्वितीय जयपुर पर उक्त व्यक्ति को रूकवाकर अपना परिचय पत्र दिखाते हुए अपना व दोनों स्वतन्त्र गवाहान तथा ट्रेप पार्टी के सदस्यों का परिचय देकर उससे परिचय पूछा तो उसने घबराते हुए अपना नाम श्री विनय कुमार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर होना बताया। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी की तरफ ईशारा कर आरोपी से पूछा कि आपने अभी–अभी इनसे रूपये लिये हैं तो उसने घबराते हुए बताया कि अभी–अभी ये हिर्देश कुमार व इनके पिता मेरे पास आये थे, मैने इनसे कोई रूपये नहीं मांगे एव ना ही कोई रूपये लिए हैं। इस पर वहां उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए कहा कि मैने दिनांक 13.01.2022 मेरे ई–चालान व ई–स्टाम्प के कुल 92,788 रूपये को रिफन्ड करवाने के लिए डीआईजी पंजियन–प्रथम कार्यालय में प्रार्थना पत्र दिया था यह श्री विनय कुमार मेरे उक्त ई–चालान व ई–स्टाम्प के रूपये रिफन्ड करवाने की एवज में मुझसे 5 हजार रूपये रिश्वत के रूप में मांग की थी, जिसको मैने आप द्वारा दिये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर मे रिकॉर्ड करके भी आपको दिया था, उक्त 5,000 रूपये मैंने आज इनके मांगने पर इनको दिये हैं। इस पर मन उप अधीक्षक पुलिस मय स्वतंत्र गवाहान एवं हमराही जाप्ता के आरोपी को साथ लेकर कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर के तृतीय तल पर स्थित आरोपी के कार्यालय कमरा नं0 302 में आये। इसके पश्चात श्री विनय कुमार बाबू से पूछने पर उसने बताया कि मेरा नाम विनय कुमार पुत्र श्री केशव चंद, जाति जाटव, उम्र 31 साल, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी महुआ जिला दौसा हाल वरिष्ठ सहायक कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर है। तत्पश्चात आरोपी श्री विनय कुमार को तसल्ली देकर पूछा कि आपने दिनांक 12.09.2022 व 16.09.2022 को परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा के ई–चालान व ई–स्टाम्प के रूपये रिफन्ड करवने की एवज में 5,000 रूपये मांगे थे, इस पर आरोपी श्री विनय कुमार चुप हो गया।

तत्पश्चात दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का गिलास निकाल कर उसको अच्छी तरहं साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री विनय कुमार वरिष्ठ सहायक के दाहिने हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गदमैला हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री विनय कुमार को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क आर.–1 व आर.–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद एक दूसरे साफ कांच के गिलास में पुनः पूर्वानुसार साफ धुलवाकर पानी भरवाया गया एवं उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डालकर घोल तैयार करवाकर घोल में श्री विनय कुमार के बांये हाथ की अंगुलियों को डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे उपस्थित दोनों गवाहान व श्री विनय कुमार को दिखाकर दो साफ कांच की शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर चिट व कपडे पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क एल–1 व एल–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात गवाह श्री योगेश कटेजा से आरोपी श्री विनय कुमार की तलाशी लिवाई गई तो उसके पास एक विवो कम्पनी का मोबाईल फोन बरंग नीला मिला, इसके अलावा अन्य कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। मन उप अधीक्षक पुलिस द्वारा आरोपी श्री विनय कुमार वरिष्ठ सहायक से पूछा कि अभी अभी कुछ देर पहले आपने परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा से 5 हजार रूपये लिए थे वह कहां हैं इस पर आरोपी ने कहा कि मैने किसी से कोई रूपये नहीं मांगे ना ही लिए हैं जिस पर आरोपी को मांग सत्यापन वार्ता दिनांक 12.09.2022 व 16.09.2022 के तथ्य बताये जाकर एवं आज दौराने कार्यवाही भी उसकी वार्ता को रिकॉर्ड होना अवगत करवाने हुए पुनः बार–बार पूछने पर आरोपी चुप हो गया व नजरें चुराते हुए इधर उधर देखने लगा एवं ढीठ की तरहं व्यवहार करने लग गया। कुछ देर बाद आरोपी को पुनः तसल्ली देकर पूछने पर बताया कि मैंने इस हिर्देश कुमार से उक्त 5 हजार रूपये लिए थे किन्तु हाथों हाथ मैने फेंक दिये थे मेरे पास रखे नहीं।

उसके बाद आरोपी को पहनने हेतु दूसरी पेन्ट उपलब्ध करवाई जाकर पहनी हुई पेन्ट को निकलवाया जाकर परिवादी के बतायेनुसार पेन्ट की पीछे वाली बायीं साईड की जेब के धोवन हेतु एक बोतल में साफ पानी मंगवाया जाकर ट्रेप बॉक्स से एक कांच का खाली गिलास निकालकर उसको अच्छी तरह साफ करवाकर उसमें पानी भरवाया गया तथा उक्त पानी में सोडियम कार्बोनेट पाउडर डलवाकर घोल तैयार करवाया गया, घोल रंगहीन रहने पर उस घोल में श्री विनय कुमार की पेन्ट की बायीं साईड की पीछे वाली जेब को बाहर निकालकर उल्टा कर उक्त घोल में डुबोकर धुलवाया गया तो धोवन का रंग गुलाबी हो गया जिसे दोनों स्वतंत्र गवाहान व श्री विनय कुमार को दिखाकर धोवन को दो कांच की साफ शीशीयों में आधा–आधा भरवाकर सील मोहर चिट चस्पा कर कपडे व चिट पर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क पी–1 व पी–2 अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तथा श्री विनय कुमार की पेन्ट की उक्त जेब को सुखाया जाकर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाये गये तथा उक्त पेन्ट को एक सफेद कपडे की थैली में रखवाकर सील मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर मार्क–पी अंकित कर बतौर वजह सबूत कब्जा पुलिस लिया गया। तत्पश्चात आरोपी को उसकी पेन्ट की जेब के धोवन का रंग गुलाबी आने का तथ्य बताया जाकर उक्त 5 हजार रूपये रिश्वती राशि के सम्बंध में पुनः पूछने पर आरोपी ने कहा कि मैने एक बार लेकर जेब में रखे थे किन्तू फिर जेब से निकालकर इस हिर्देश कुमार को वापस दे दिये थे इसलिए जेब के धोवन का रंग गुलाबी आया होगा। इसपर मौके पर उपस्थित परिवादी ने आरोपी की बात का खण्डन करते हुए बताया कि यह आरोपी श्री विनय कुमार स्पष्ट झूठ बोल रहा है इसने मेरे से रिश्वत राशि 5 हजार रूपये लेकर अपनी पहनी हुई पेन्ट की पीछे की बायी तरफ की जेब में रख लिए थे और उसके बाद यह वहां से वापस कार्यालय के लिए रवाना हो गया था इसने मुझे रूपये वापस नहीं दिये। परिवादी के पिता श्री मनोज कुमार से पूछने पर उसने परिवादी की बातों की ताईद करते हुए बताया कि इस श्री विनय कुमार ने

रूपये लेकर अपनी पेन्ट की पीछे वाली बायीं तरफ की जेब में रख लिए थे इसने रूपये हमें वापस नहीं दिये। इसपर स्वतंत्र गवाह श्री अनिल शुक्ला से परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा की तलाशी लिवाई गई तो उसके पास उसके मोबाईल फोन के अलावा अन्य कोई वस्तु दस्तयाब नहीं हुई। उसके बाद स्वतंत्र गवाह श्री अनिल शुक्ला से परिवादी के पिता श्री मनोज शर्मा की तलाशी लिवाई गई तो उनके पास भी उक्त रिश्वत राशि नहीं होना पाया गया। आरोपी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर आरोपी बार बार कथन बदल रहा था एवं अलग–अलग तथ्य बता रहा था।

तत्पश्चात आरोपी से परिवादी के ई–चालान व ई–स्टाम्प की राशि रिफन्ड से सम्बंधित पत्रावली व रिकॉर्ड के सम्बंध में पूछने पर आरोपी ने उसकी कार्यालय टेबल पर रखी उक्त पत्रावली निकालकर पेश की कार्यालय से उक्त पत्रावली की प्रमाणित फोटोप्रति प्राप्त की जाकर जब्त कर कब्जा पुलिस लिया गया। इसके बाद परिवादी द्वारा पेश किये गये डिजीटल वाईस रिकॉर्डर को हमराह लैपटाप से जोडकर सुना गया तो उसमें वार्ता रिकॉर्ड होना पाई गई। उसके बाद आरोपी से पूछताछ की गई एवं पूछताछ नोट पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली किया गया। दौराने कार्यवाही आरोपी द्वारा रिश्वत राशि को खुर्द बुर्द कर दिया गया एवं रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछने पर बार–बार अलग–अलग तथ्य बताये जाकर रिश्वत राशि के सम्बंध में सही जानकारी नहीं देकर साक्ष्य का विलोपन किया गया। तत्पश्चात आरोपी श्री विनय कुमार पुत्र श्री केशव चंद, जाति जाटव, उम्र 31 साल, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी महुआ, जिला दौसा, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम, पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर के विरूद्ध आरोप अन्तर्गत धारा 7, भ्रष्टाचार निवारण संशोधित अधिनियम 2018 व 201 भादस का आरोप प्रमाणित पाये जाने पर हस्बकायदा गिरफ्तार किया गया। फर्द गिरफ्तारी पृथक से तैयार कर शामिल पत्रावली की गई। दिनांक 21.09.2022 को परिवादी व उसके पिता एवं दोनों स्वतन्त्र गवाहान के समक्ष, परिवादी व उसके पिता एवं आरोपी श्री विनय कुमार, वरिष्ठ सहायक के मध्य वक्त रिश्वत लेनदेन दिनांक 20.09.2022 को हुई वार्ता जो सरकारी डिजिटल वॉयस रिकार्डर में रिकार्ड की गई थी उक्त डिजिटल वॉईस रिकॉर्डर में रिकॉर्डशुदा वार्ता को गवाहान की मौजूदगी में कार्यालय कम्प्यूटर की सहायता से सुना गया तथा फर्द ट्रांस्किप्ट तैयार की गई। तत्पश्चात वार्ता की सीडी बनवाने हेतु पांच खाली सीडीयां मंगवायी जाकर पांचो सीडियों को खाली होना सुनिश्चित कर बारी–बारी कम्प्यूटर की सहायता से रिकॉर्डशुदा वार्ता की पांच अलग–अलग सीडियां तैयार की गई तथा चार सीडियों को सील्ड मोहर कर सम्बंधितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया व एक सीडी को अनुसंधान हेतु खुला रख शामिल पत्रावली किया गया। डिजीटल वाईस रिकॉर्डर में लगे मैमोरी कार्ड को निकलवाकर सफेद कपड़े की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर सम्बन्धितों के हस्ताक्षर करवाकर कब्जा एसीबी लिया गया। फर्द ट्रांस्किप्ट वक्त रिश्वत लेन देन पृथक से मुर्तिब कर शामिल पत्रावली की गई। आरोपी से रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछताछ एवं बरामदगी हेतु माननीय न्यायालय से एक दिन का पुलिस अभिरक्षा रिमाण्ड लिया गया है जिससे पूछताछ जारी है।

अब तक की सम्पूर्ण ट्रैप कार्यवाही से आरोपी श्री विनय कुमार वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम, पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर ने लोकसेवक के पद पर रहते हुये, अपने पद का दुरूपयोग कर, भ्रष्ट तरीके से परिवादी श्री हिर्देश कुमार शर्मा के ई–चालान व ई–स्टाम्प की राशि को रिफन्ड करवाने की एवज में मांग सत्यापन दिनांक 12.09.2022 व 16.09.2022 के अनुसार परिवादी से 5,000 रूपये की राशि रिश्वत के तौर पर मांग करने तथा दिनांक 20.09.2022 को परिवादी से उक्त 5 हजार रूपये रिश्वत राशि प्राप्त करते हुये रंगे हाथो पकड़े जाने तथा आरोपी द्वारा दौराने कार्यवाही रिश्वत राशि को खुर्द बुर्द कर दिये जाने एवं रिश्वत राशि के सम्बंध में पूछे जाने पर बार–बार अलग–अलग तथ्य बताये जाकर रिश्वत राशि के सम्बंध में सही जानकारी नहीं देकर साक्ष्य का विलोपन किये जाने से आरोपी का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 व 201 भादस का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाये जाने पर आरोपी श्री विनय कुमार पुत्र श्री केशव चंद, जाति जाटव, उम्र 31 साल, निवासी अम्बेडकर कॉलोनी महुआ, जिला दौसा, हाल वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम, पंजियन एवं मुद्रांक जयपुर के विरूद्ध उपरोक्त धाराओं में प्रकरण पंजीबद्ध किये जाने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट वास्ते कमांकन सादर प्रेषित है।

(चित्रगुप्त महावर)
उप अधीक्षक पुलिस
स्पेशल इन्वेस्टीगेशन विंग,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
राजस्थान जयपुर।

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री चित्रगुप्त महावर, उप अधीक्षक पुलिस, एस.आई.डब्ल्यू. भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) एवं 201 भादंसं में आरोपी श्री विनय कुमार पुत्र श्री केशव चंद, वरिष्ठ सहायक, कार्यालय उप महानिरीक्षक प्रथम, पंजीयन एवं मुद्रांक जयपुर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 373/2022 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रतियाँ प्रथम सूचना रिपोर्ट नियमानुसार जारी की गई।

22.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांक 3238-42 दिनांक 22.9.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जयपुर कोर्ट क्रम सं.-1, जयपुर।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
3. महानिरीक्षक, पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग, राजस्थान, जयपुर।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,एस.आई.डब्ल्यू. जयपुर।

22.9.22
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।